न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 429 सन 2021

अनवान :–

1. रामचन्द्र पुत्र रजीराम जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अमरसिह पुत्र भानीराम जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. दयाराम पुत्र भानीराम जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मण जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. सुमन कुमार पुत्र लक्ष्मण जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5. कृष्ण कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति सुथार निवासी टोपिरया तहसील नोहर।
6. पूर्णाराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति सुथार निवासी टोपिरया तहसील नोहर।
7. पृथ्वीराज पुत्र रजीराम जाति सुथार निवासी टोपिरया तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 05/08/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 264/247 की कुल 3.8570हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम व रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 135/139 की कुल 7.0300हैक में से 3.515हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है पूर्व में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाते समय हिस्सा कस्सी सहवन से गलत तौर से दर्ज हो गई वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने आपसी सहमति से काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने हक हिस्सा के अनुसार परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कई मर्तबा कहा की वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बटवारा /परिवारिक समझौता के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के मध्य आपसी सहमति से हुए बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके मध्य पूर्व में हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज हो गई वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned by CamScanner

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 264/247 की कुल 3.8570हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम व रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 135/139 की कुल 7.0300हैक में से 3.515हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है पूर्व में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाते समय हिस्सा कस्सी सहवन से गलत तौर से दर्ज हो गई वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने आपसी सहमति से काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने हक हिस्सा के अनुसार परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 264/247 की कुल 3.8570हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम व रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 135/139 की कुल 7.0300हैक में से 3.515हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने पूर्व की हिस्सा कस्सी एवं काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के वाद का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

कोई भी खातेदार काश्तकार जो एक ही परिवार को हो आपसी सहमति से काश्त की सुविधा को ध्यान में रख कर बाहमी बटवारा एवं उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 264/247 की कुल 3.8570हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 आठो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 135/139 की कुल 7.0300हैक में से 3.515हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के नाम से सयुक्त तौर से दर्ज है के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं निवास स्थान टोपरिया किया जाता है शेष सहकाश्तकारो का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/08/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामचन्द्र पुत्र रजीराम जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 अमरसिह पुत्र भानीराम जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. दयाराम पुत्र भानीराम जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मण जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. सुमन कुमार पुत्र लक्ष्मण जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5. कृष्ण कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति सुथार निवासी टोपिरया तहसील नोहर।
6. पूर्णाराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति सुथार निवासी टोपिरया तहसील नोहर।
7. पृथ्वीराज पुत्र रजीराम जाति सुथार निवासी टोपिरया तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 429 सन 2021 निर्णय दिनांक– 06/08/2024

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 264/247 की कुल 3.8570हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 आठो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मोजा मालिया के खाता संख्या 135/139 की कुल 7.0300हैक में से 3.515हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के नाम से सयुक्त तौर से दर्ज है के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा निवास स्थान टोपरिया किया जाता है शेष सहकाश्तकारो का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned by CamScanner